GOVERNMENT BILLS

(i) The Appropriation Bill, 2017; and

(ii) The Appropriation (No. 2) Bill, 2017

THE MINISTER OF FINANCE; THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move:

> That the Bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2017-18, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also beg to move:

> That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2016-17, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The questions were proposed

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, we had a very long and a very fruitful detailed discussion on the Union Budget as it indeed should be during the Budget Session. During the course of this discussion, almost all issues which concern the Indian economy have been brought forward and raised by the hon. Members. The sitting of the House has been divided into two parts and the discussion started in the first part of the Budget Session and spilled over to the second part. A lot of intervening events have also taken place, which are both of political and economic significance itself. And, obviously, when the debate was initiated and even towards the latter part, a lot of hon. Members got an opportunity, which earlier, because of the disturbance in the last session was not possible, to discuss threadbare the issue of demonetisation and express their views on this.

Sir, the Government fully stands by the decision that was taken by the Government on the 8th November, 2016, as some decision which was eminently required in the larger interests of the Indian economy. We, in the Government, do believe that in the last seven decades, we have increasingly become, in terms of taxation, largely a non-compliant society, a society in which finding ways and methods of by-passing both the direct and indirect tax system had almost become a regular function, and it is not one trade or one group that one can blame. This had almost become a part of our life itself. One of my own first reactions after demonetisation in a public function was, when Indians go to buy property--and this has happened over the last seven decades--you are quoted price in two ways. When, in businesses, books of accounts are maintained, there are two separate adjectives which are being used,

[Shri Arun Jaitley]

which is, formal accounting system and informal accounting system. Let us, for a moment, detach ourselves from the political stands we have taken on this issue. In the current year, which expires on the 31st March, as against the Budget Estimate of ₹ 16,25,000 crores, we have now put an estimate of ₹ 17 lakh crores as a possible tax collection this year, which is ₹ 8.5 lakh crores, direct tax and ₹ 8.5 lakh crores, indirect tax. That is the current estimation. I don't want an answer from anybody, but हममें से हर आदमी मेंटली एक फिगर आउट कर ले कि अगर इस देश में tax compliances प्रॉपर हों, तो यह जो डायरेक्ट टैक्स 8.5 लाख करोड़ रुपए है और इनडायरेक्ट टैक्स 8.5 लाख करोड़ रुपए है, यह संख्या कितनी होनी चाहिए? आज इसमें से एक हिस्सा राज्यों को जाएगा। फिर हम ऋण लेंगे। We will do market borrowings. Market borrowings करके, जो हमारी next generation है, उसके ऊपर हम उधार छोड़कर जाएंगे। हर देश में जो भी सरकार बनती है, वह सरकार यही कहती है कि पिछली सरकार मुझे ऋण में छोड़ गई। अभी हाल ही में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से हर मुख्यमंत्री की स्वाभाविक रुप से यही समस्या रही है। अब Tax non-compliance — यह केवल केंद्र की ही समस्या नहीं है, यह राज्यों की भी समस्या है। इस व्यवस्था को अगर ठीक करना है, दूर करना है, तो उसके लिए क्या-क्या रास्ते हम लोग अपना सकते हैं? एक परिस्थिति थी, जब देश की GDP का 12.2 प्रतिशत हिस्सा cash currency में हो, जो पूरी दुनिया में कहीं किसी देश में नहीं है, उसमें से 86 per cent High denominational currency में हो। जब देश की अर्थव्यवस्था cash के आधार पर ज्यादा घूमती हो, जो समस्याएं cash पैदा कर सकता है, स्वाभाविक रूप से वे समस्याएं पैदा होंगी। चिदम्बरम साहब इस वक्त नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक तर्क उठाया — Despite demonetisation, crime will still take place, corruption may take place, there may be fake currency, there may be terrorist incidents, there may be tax-evasion. Of course, crime will continue as long as humanity continues. But the question we have to ask ourselves is : Is cash a facilitator of that crime or not? If it is a big facilitator of that crime must we keep adding in the economy the component of cash, particularly, when the alternate avenues of running the economy are available. Therefore, if a large part of your economy can move towards banking transactions, if workmen can be paid salaries through the proper channel, their interest in getting social security schemes implemented to them will also increase. If school teachers are paid, then, no management will be able to have one amount given and another amount signed, and if school fees can be paid, these are all legitimate expenditures which can be done through digital or banking transactions. Therefore, a shock was necessarily required to be given into the system. Now, when this was done, the first two reactions, उसके जो पहले दो reactions आए, मुझे प्रो. राम गोपाल जी का वह भाषण भी याद है, जब पहले दिन उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के गांव में मत जाना। लोग आपको ढूंढेंगे। अब वे मतदाताओं को ढूंढ रहे थे। वह आपका political assessment था। इस evasion का लाभ किसे होता है? Evasion करने वाले केवल एक या दो प्रतिशत लोग हैं और पैसा जो सरकार के खजाने में आता है, वह गरीब आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए उस गरीब आदमी को इसका लाभ मिलेगा। अगर सरकारी खजाना

बढ़ता है, हम रोज़ यहां मांग करते हैं कि अमुक लोन waive कर दो, देश की सुरक्षा पर ज्यादा खर्च हो, ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा खर्च हो, अगर सरकार का कानूनी तौर पर, legitimate तरीके से, पैसा लेने का जो अधिकार है, उस पैसे को लेने के लिए अगर वह taxation के जरिए प्रयास करती है, कई उद्योग हैं, Real Estate में भी, जब से corporatization शुरू हुआ है, बड़े शहरों में बड़ी कम्पनियां हैं जो legitimate transactions की तरफ जा रही हैं। एक समय हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सुनते थे कि वह पूरा का पूरा उद्योग corporatization के बाद पिछले कुछ सालों में legitimate transaction की तरफ गया। इसलिए अगर उस दिशा में एक-एक उद्योग जाता है, तो कोई भी राजनैतिक दल केवल अपने हित को सोचने के लिए — विशेषकर कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपका जो आकलन था, वह exaggerated था? हर व्यवस्था के बारे में यह कह दिया गया कि वह व्यापार 70 परसेंट लुढ़क गया, वह 80 परसेंट लुढ़क गया। हमारे पास जब नवम्बर और दिसम्बर के रेवेन्यू के आँकड़े आए, तब वह तो सामने नज़र नहीं आ रहा था! Anecdotal evidence can be anecdotal and unreal, but revenue targets are real. जो मैन्युफैक्चर पर एक्साइज़ का पैसा भरता है, जो खरीददारी के बाद वैट का पैसा भरता है, वह तो रियल होता है, जो कहानी और किस्सों के आधार पर होता है, वह तो कई बार बनावटी भी होता है! अभी अनिल जी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के बारे में कह रहे थे। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन पर स्वाभाविक रूप से फर्क आएगा, क्योंकि वह एक ऐसा उद्योग था, जिसमें कैश कम्पोनेन्ट बहुत ज्यादा था। लेकिन जब हमने आँकड़े देखे, तो पता चला कि दो राज्यों को छोड़कर हर बड़े राज्य का दिसम्बर का वैट कलेक्शन बढ़ा, जबकि नवम्बर के महीने में तो फिर भी अपवाद के तौर पर पुरानी करेंसी अलाउड थी, लेकिन दिसम्बर में तो वह अलाउड नहीं थी। यह कम्युटराइज्ड डेटा है। आपको लगा कि जीडीपी अचानक 2 परसेंट गिर जाएगी, वह और ज्यादा नीचे चली जाएगी। कुछ ने तो कह दिया कि वह नेगेटिव में चली जाएगी। एक ने कह दिया कि वह 3 परसेंट के करीब आ जाएगी, मैंने एक एनालिस्ट के कमेंट सुने। जो सबसे ज्यादा प्रभावित अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर की तिमाही थी, उसके आँकड़ों में भी ऐसा कोई सुझाव नहीं आया। पहली बार इस देश में एक तर्क पैदा हुआ कि जिस पार्टी ने देश पर 50 सालों तक हुकूमत की हो, वह कह रही है कि इस देश की Central Statistical Organization के फ़िगर्स doubtful हैं। यह एक नया तर्क पैदा कर दिया गया।

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): एक मिनट, अगर आप बुरा न मानें। देखिए, यह बात ठीक है कि कुछ प्रश्न उठाए गए, शंकाएँ थीं। यह आकलन की बात है, एक आपका दृष्टिकोण है, पर वास्तविकता यह है कि जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, बैंकों में पैसा जमा हुआ, उस पर टैक्स भी आया है। यह एक वास्तविकता है, उस पर हम बहस नहीं करते, पर यह भी एक वास्तविकता है कि आपने यूटिलिटीज़ में, रेलवेज़ में, पेट्रोल पम्प्स पर, बिजली के बिल के भुगतान के लिए पुराने नोट की पेमेंट की अनुमति दी, इसलिए वह बढ़ा है। यह बात भी ठीक है कि जीडीपी का आपका यह नम्बर provisional है। यह बहस का विषय नहीं है। हम आँकड़ों पर, जीडीपी फ़िगर्स पर doubt नहीं करते। भारत की जो Central Statistical Organization है, उसकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता पर हम प्रश्न-चिन्ह नहीं लगाना चाहते, पर सवाल यह है कि उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है, टी.सी.ए. अनंत का यह बयान है कि अभी तक informal sector का, informal economy का असंगठित क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसकी जानकारी हमको जून के महीने तक मिलेगी, उसके बाद हम अंतिम आँकड़े देंगे, तो उसका इंतजार कर लें। यह कहना कि कोई प्रभाव नहीं हुआ है, यह उचित नहीं है।

श्री अरुण जेटली: देश में जो पैसा anonymity के साथ, गुमनामी के साथ बिना किसी हिसाब-किताब के, बिना किसी टैक्स पेमेंट के समाज में घूमता था, वह आज बैंकों में पहुँच गया, उस पैसे की ओनरशिप तय हो गई। उसमें जिन लोगों का डिपॉज़िट और उनका इनकम प्रोफाइल मेल नहीं खाता, आज उनकी जवाबदारी हो रही है। वह टैक्स नेट के अंदर आने लगा। मैंने इस बार के बजट के अपने भाषण में आँकड़े दिए थे कि हम इतना बड़ा देश चला रहे हैं, हम अपनी इस परिस्थिति — जब मैंने non-compliant कहा, तो उसका एक उदाहरण ले लीजिए। आज इस देश में ढाई लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं है। फिर ढाई हजार रुपए टैक्स की छूट है। तो आज 5 परसेंट हो गया, यानी तीन लाख तक कोई टैक्स नहीं। उससे ज्यादा थोड़ा डिडक्शंस मिल जाती हैं। तो 5 लाख तक जिसकी इन्कम है, बहुत थोड़े टैक्स में भी 5 परसेंट दर है, वह टैक्स देकर अपना काम कर लेता है, negligible टैक्स में। 5 लाख से ऊपर लोगों का हमने हिसाब लगाया, तो सवा सौ करोड़ के देश में केवल 76 लाख लोग टैक्स देते हैं। उस 76 लाख में से 61 लाख वे हैं जो वेतनभोगी हैं।

श्री आनन्द शर्मा: केवल 15 लाख बचे हैं।

श्री अरुण जेटली: तो आप 16-17 लाख से डील कर रहे हो, जिसमें सब वकील, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, प्रोफेशनल्स, इण्डस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स ये सारी जो दुनिया है। अब इस नेट को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है और 18 लाख लोग इसमें वे हैं जिसमें दो-चार-पांच लाख जिन्होंने डिपॉजिट नहीं कराया, जिसने ज्यादा डिपॉजिट कराया और उनकी आमदनी का जो प्रोफाइल है, उसके साथ मेल नहीं खाता। तो इसलिए इस व्यवस्था को चलनें दें, कैश के बहुत virtues हैं। इसको हम स्वीकार कर लें कि एक बहुत बड़ा झटका जो shadow economy थी, उसको लगा है और आने वाले कल में इस पूरे digitisation के अभियान से फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा। यह आपने ठीक कहा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के कुछ सैक्टर्स हैं, जिसमें कुछ तकलीफ आएगी, लेकिन वह इनफॉर्मल इकोनॉमी धीरे-धीरे फॉर्मल इकोनॉकी के साथ इंटीग्रेट होगी। आपने ठीक कहा, इसमें तीन प्रकार की कार्यवाही है, जो सरकार कर रही है। पहली कार्यवाही है, जहां यह पैसा जेनरेट होता है उस पर रोक लगाई है। जी.एस.टी. के संबंध में मैं अभी विस्तृत रूप से बताऊंगा, उसमें रोक लगने की एक गुंजाइश बढ़ती है। आप अपने रेट्स को रीज़नेबल करिए। हमने इसीलिए, जो एंट्री प्वाइंट रेट है टैक्सेशन का, उसको 5 परसेंट कर दिया, यानी 5 लाख तक। आप अपनी व्यवस्था को assessee-friendly बनाइए और जो लॉर्ज एक्सपेंडिचर के क्षेत्र हैं, जहां पर इस पैसे का प्रयोग होता है वहां पर अगर सख्ती कर सकते हैं, नए नियम बना सकते हैं तो बनाइए। मैंने फाइनेंस बिल में यह सजेस्ट किया था कि तीन लाख से ज्यादा का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, लेकिन कैश दोबारा भी जेनरेट हो, उसको डिसकरेज़ करने के लिए उसको दो लाख किया है। यह संशोधन कल लोक सभा ने पारित किया है। आज इस सारे से बैंकिग ट्रांजेक्शन का digitisation का एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है और धीरे-धीरे जो यह पूरा पैसा अब व्यवस्थित रूप से आएगा और फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, राज्यों का भी और केंद्र का भी इससे राजस्व बढ़े, इसकी संभावना बढ़ेगी। यह केवल एकमात्र स्टेप नहीं है, यह एकमात्र कदम नहीं है। पहले दिन से एस.आई.टी. जब से सुप्रीम कोर्ट की, हम लोगों ने स्वीकार की, हम लोगों ने एक कदम उठाया फॉरेन बैंक एकाउंट के संबंध में, ब्लैक मनी का कानून पास किया, लोगों को एक अवसर दिया कि अगर विदेशों में कुछ है तो उसको डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो कार्यवाही होगी। उसके बाद जितनी भी डिटेल्स आई हुई थीं आज तक फॉरेन

बैंक एकाउंट्स की, उनकी असेसमेंट कम्प्लीट करना, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन डालना, जिन केसेज़ में संभव था एविडेंस थे, जो केसेज़ उन लोगों के थे जो रेजीडेंट इंडियन्स नहीं थे, उनको कानून की प्रोटेक्शन मिलती थी। बेनामी कानून को लाना, उस पर अब कार्यवाही शुरू हो चुकी है। दुनिया भर के अलग-अलग देशों के साथ कोऑपरेशन करना, G-20 देशों के साथ प्रधान मंत्री जी ने 2014 में Brisbane में शुरू कर दिया था। अमेरिका के साथ हम FATCA initiative में हिस्सेदार हो गए कि कोई भारतीय नागरिक वहां और कोई उनका नागरिक हमारे यहां और अंत में होगा कि जो देश उस अरेंजमेंट के हिस्सेदार हैं, जो-जो विदेशों में खर्चेगा या कोई एक्विजिशन करेगा उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन आएगी। स्विट्ज़रलैंड जो एक केंद्र माना जाता था, अब उन्होंने भी डिटेल्स देनी स्वीकार कर ली हैं। इसके अलावा यहां से काला धन बाहर चला जाए और घूमकर वापस आ जाए, इसके जो रास्ते थे, मॉरिशस का, साइप्रस का और सिंगापुर का - 1996 से कोशिश हो रही थी कि उन treaties को renegotiate करें। पिछला 2016 का वर्ष एक अच्छा ऐतिहासिक वर्ष रहा, जिसमें तीनों देशों के साथ हम लोगों ने renegotiate कर लिया और वह जो round-tripping का पूरा रास्ता था, उसको रोका। लोग मानते थे कि वह रुक गया तो foreign capital का inflow बंद हो जाएगा, रुपए और डॉलर की parity पर असर पड़ेगा — बिल्कुल असर नहीं पड़ा, लेकिन एक जो रास्ता था, उसे हम लोगों ने रोका। एक ID Scheme लाए, जो एक successful स्कीम थी। इन सारे प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि अगर हम यह उद्देश्य रखते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लगातार तीसरा साल बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमें वह स्थान प्राप्त हुआ है, हम developing देशों में आगे की पंक्ति में हैं, तो कम से कम - हम एक tax non-compliant economy हैं, जिसका taxation base वह है, जिसका मैंने अभी आंकड़ा आपको दिया कि इस आंकड़े के आधार पर देश चले - इस व्यवस्था को परिवर्तित करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि राजनैतिक दृष्टि से भी इसका लाभ हुआ है। लोगों ने इसका समर्थन किया है क्योंकि यह कदम अच्छा था। मैंने बजट के भाषण में गांधी जी का एक वाक्य quote किया था कि "A right cause never fails." यह गांधी जी ने कहा था और यह सही मायने में उसका उदाहरण है।

जहां तक बजट में taxation के proposals हैं, इसी नीति के तहत कि यह taxation base बढ़े, जो पांच लाख से नीचे वाली category है, उसमें हमने nominal tax कर दिया — केवल पांच परसेंट। मैं उसके पीछे का तर्क भी बता दूं। Tax Base बड़ा रहना चाहिए, tax transactions रिकॉर्ड होने चाहिए। उस बेस को और छोटा कर दें तो उसका कोई लाभ नहीं है। अब उसको तीन लाख तो लगभग टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तीन लाख से ऊपर अधिक से अधिक देना पड़ेगा तो 10,000 रुपए देना पड़ेगा। अगर कोई deductions claim कर लेता है, चार-साढ़े चार लाख की deductions भी उपलब्ध रहती हैं, तो शायद उसको हज़ार-दो हज़ार रुपए टैक्स देना पड़े, लेकिन record purposes के लिए — लोगों की income और उनकी transaction का रिकॉर्ड बनता रहे, उसके लिए एक प्रयास हमने यह किया है।

देश की economy formalize हो और इस formalized economy में MSME का बहुत बड़ा रोल है। जितनी भी देश की कम्पनीज़ हैं, उनमें 96 परसेंट वे हैं, जिनकी turnover 50 करोड़ से नीचे है। तो जो सरकार की एक commitment थी, आपके समय जो Direct Tax Code बना था, उसमें भी यह सुझाव था — सबके लिए था, लेकिन हमने जो 50 करोड़ तक turnover वाली कम्पनीज़ हैं, उनका taxation level 25 परसेंट कर दिया है, ताकि incentive रहे, वह formal

[श्री अरुण जेटली]

रहे और जो लोग individual नामों से काम करते हैं, उनके ऊपर भी इसका लाभ उठाने का एक incentive रहे कि वे अपने व्यापार को इसमें convert करने की कोशिश करते रहें।

पिछले साल भी affordable housing को हम लोगों ने काफी राहत दी थी, इस बार भी दी। Long term capital gains की अवधि कम कर दी, project completion की अवधि हम लोगों ने बढ़ा दी। जो सुपर एरिया के आधार पर affordable housing flat को नापा जाता था, उसको carpet area के आधार पर कर दिया, ताकि किसी भी शहर में दो bedroom का अच्छा अपार्टमेंट affordable housing में आ जाए और उसको infrastructure का setup ले लिया। ये सारे taxation incentives जो हम लोगों ने दिए, उनके पीछे उद्देश्य यही था कि कुछ सेक्टर्स में जो धीमापन आया है, वे आगे बढ़ें।

GST के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत चर्चा, विवाद, फिर कमेटी और फिर उसके बाद हम लोगों ने सर्वसम्मति से GST को पास किया। मैं यह मानता हूं कि यह सारे सदन का, पूरे देश का, केंद्र तथा राज्यों का मिलाकर, it is a joint initiative which the whole country has taken. और जिस spirit के साथ यह पास हुआ, हम लोगों ने उसी spirit से इसे आगे बढ़ाया है। आज Indirect taxation का अधिकार और उस की प्रक्रिया तय करने का अधिकार जी.एस.टी. काउंसिल के पास चला गया है। GST Council in that sense is India's first federal decision making body. प्रधान मंत्री जी का मुझे आग्रह था कि जी.एस.टी. काउंसिल के जो निर्णय 3/4th वोट से होते हैं, जिस में 1/3rd वोट केंद्र का है और 2/3 राज्यों के हैं, अब अगर हम political level पर चलाएंगे, तो उस आंकड़े को हासिल करना सरल था, लेकिन वह रास्ता सही नहीं था। इसलिए हम ने जी.एस.टी. काउंसिल में एक भी मुद्दे पर वोट से निर्णय नहीं किया और सब निर्णय सर्व-सम्मति से किए। इस का कारण यह है कि federalism राज्यों के हित का subject है और Centre State Relation एक delicate subject है। महोदय, मैं सभी राज्यों की तारीफ करूंगा और इस में तमिलनाडु एकमात्र राज्य था, जो जी.एस.टी. के विरोध में था, लेकिन जब देश ने इसे स्वीकार कर लिया, तो उनका भी participation positive और active रहा। कांग्रेस पार्टी के राज्यों और उत्तर प्रदेश में उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपके प्रतिनिधि आए और बिहार की सरकार — इन सब सरकारों का एक सकारात्मक रवैया था कि हर समस्या का हल ढूंढ़ना है। हम लोग इस की 12 मीटिंग्स कर चुके हैं और एक-एक मीटिंग 8-8, 9-9 घंटे की दो-दो, तीन-तीन दिन तक चलती है। उस में ऐसे निर्णय करने थे, जिन्हें सहमति से कर पाना उतना सरल नहीं था, लेकिन हर निर्णय अंत में सहमति के साथ हुआ और एक भी अवसर पर हमें वोट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महोदय, उस में केवल दो procedural important चीजें बाकी हैं। उस में जो सिद्धांत थे, जिस में हम इसे तय करेंगे, वे principles तय हुए और कुछ कठिन निर्णय थे। अब एक निर्णय था कि देश में समुद्र के किनारे वाले कुछ राज्य ऐसे हैं, उनका tax collection by supplying oil to the vessels होता है। अब strictly speaking समुद्र की territory राज्य की नहीं होती, वह केंद्र की territory में आती है। उसे राज्यों से कैसे छीना जाए, इस के लिए एक कानूनी रास्ता ढूंढ़ना है, ताकि उनका रेवेन्यू कम न हो। फिर एक सब से बड़ी समस्या आज भी है, जिस के बारे में कभी-न-कभी देश को सोचना पड़ेगा कि टैक्स एक हो जाएगा, लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी केंद्र की है और एक हर राज्य की है, तो क्या कभी इस की Federal bureaucracy of taxation बनेगी और उन दोनों के बीच में अधिकार क्षेत्र का बंटवारा कैसे होगा? इस के सिद्धांत भी हम ने सर्व-सम्मति से मान्य कर लिए।

महोदय, 5 ऐसे कानून हैं, जिन्हें जी.एस.टी. काउंसिल draft करेगी, जिनमें से 4 केंद्रीय संसद को स्वीकार करने पड़ेंगे और एक सभी विधान सभाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। पहला है सी.जी.एस.टी. का, दूसरा है आई.जी.एस.टी. का, तीसरा है अगर किसी राज्य को 5 वर्षों में घाटा होता है, तो उसे compensation देने का और जी.एस.टी. में जो दिल्ली और पुडुचेरी Union Territories हैं, इन की State Assemblies हैं, वे शामिल हैं, लेकिन जो 4 अन्य Union Territories हैं, वे Central Territories हैं और उनके लिए एक यू.टी.जी.एस.टी. लॉ होगा। इस के अलावा राज्यों का जो एस.जी.एस.टी. लॉ होगा, जोकि सी.जी.एस.टी. लॉ का एक प्रकार से replica है, उसे हर राज्य को पारित करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो संविधान संशोधन पारित किया था, वह 16 सितंबर, 2016 को notify किया था और उस कानून के तहत एक साल की अवधि switch over की मिलती है और अगर हम एक साल में switch over नहीं कर पाते हैं, तो संविधान संशोधन में वह अवधि बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस साल 15 सितम्बर के बाद taxation collect करने की जो legal entitlement है, वह अपने आप में समाप्त हो जाती है। So, the alternative system has to come into place before 15th of September. और इसलिए एक deadline भी थी और इसी वजह से दिनों-दिन बैठे थे। जो राज्यों और केंद्र के ऑफिसर्स थे, जिनकी एक Legal Committee थी, जो उसकी drafting- basics करती थी, वह कई-कई दिन पूरी रात बैठती थी। पांचों के पांचों कानून एक-एक शब्द, एक-एक full stop, comma सर्वसम्मति से सभी राज्यों ने और केंद्र ने उसको स्वीकार किया और कई दिनों तक उस पर चर्चा हुई। It was a great exercise in deliberative democracy कि एक भी issue ऐसा नहीं था, जिस पर कोई राज्य या केंद्र लाइन्स के ऊपर किसी ने अपनी लाइन ली हो। कई बीजेपी के Finance Ministers थे, वे मेरे प्रपोज़ल का विरोध करते थे और कांग्रेस वाले समर्थन कर देते थे। कई बार दो कांग्रेस के Finance Ministers का अलग-अलग व्यू होता था। तो कोई भी party-line के आधार पर वहां पर नहीं चला, federal lines और taxation के प्रिंसिपल पर उन्होंने चलकर पांचों unanimously कानून बना दिए। हम लोग Lok Sabha में introduce कर देंगे और इसी सत्र में हमें पारित करने पड़ेंगे। उन कानूनों के बाद 9 बॉयलॉज़ बनने हैं और चार एप्रूव हो चुके हैं और चार हम और 31 तारीख को शायद उनको कर लेंगे, क्योंकि उसका ड्राफ्ट फाइनलाइज़ हो गया है। फिर अप्रैल और मई का जो समय मिलेगा, जो taxation structures तय किए हैं और उनके जो rates होंगे, उन rates के लिए एक group बैठेगा, जिसका उन्होंने एक arithmetical formula तय किया है। मुझे लगता है वह achieve कर पाना संभव होगा। उस criteria के बेसिस के आधार पर वे चलेंगे। इसका असर क्या होगा? अभी GST Council ने तय किया कि tentatively हम पहली जुलाई से इसको लागू करेंगे। आज हम लोग केंद्र में manufacturing tax, excise duty, service tax लेते हैं। तो हर व्यक्ति के दो assessment हम करते हैं। ये दोनों assessing officers के पास में जाता है, VAT राज्यों के पास जाता है। फिर purchase tax के लिए कुछ राज्य जाते हैं। कोई जो inter-State tax होता है, उसके संबंध में उसका assessment होता है। उसके बाद कहीं entry है, तो Octroi में उसका assessment होता है, luxury tax का होता है, तो हर assessee को चार से लेकर आठ तक assessing authority के सामने हर साल जाना पड़ता है। आज उस assesse को केवल एक tax लगेगा और एक authority के साथ उसका interface होगा। जो tax collection होगा, वह tax अपने आप आप computer system पर जिस राज्य और केंद्र के बीच होगा, उसका formula decided है, उसके हिसाब से उसका division हाथों-हाथ होता जाएगा। उसके अतिरिक्त किसी भी manufacturing process में जो पहले input

[श्री अरुण जेटली]

3.00 P.M.

taxes दिए जा चुके हैं, जो अगली स्टेज पर tax दिया जाएगा, उसका input credit मिलेगा। आज हर स्टेट में tax अलग होता है, तो क्रेडिट नहीं मिलता है, तो जो tax on tax already paid है, वह component हट जाएगा। हम देखते हैं कि राज्यों के बाहर जो ट्रकों की कतार खड़ी रहती है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अब एक expert group बना है कि ये जो toll नाके हैं, जिन पर goods and services का free movement रुकता है, इनको किस प्रकार से हटाया जाएगा, पूरे देश में इन्हीं मिनिस्टर्स की एक कमेटी इसकी सिफारिश अपने हाथ से कर रही है। यह एक historic कदम है, क्योंकि दोनों सदनों ने इसको unanimousy pass किया और Council में भी उसी spirit को आगे बढ़ाकर उसको unanimously तय किया है और इस वर्ष आज के बजट के साथ इसका link यह है कि हम जो भी indirect taxes approve कर रहे हैं, शायद वे उस दिन तक चलेंगे, जिस दिन तक GST नहीं आएगा, जब CST आएगा, तो वे अपने आप में स्वाभाविक रूप में समाप्त हो जाएंगे। कई ऐसे cesses हैं, जो GST के अंदर अपने आप में subsume होंगे। कुछ पांच वर्ष के लिए क्योंकि कम्पनसेशन है, जब कम्पनसेशन का बिल आएगा तो एक्सप्लेन करूंगा कि कम्पनसेशन कहां से पे किया जाएगा। उसकी प्रक्रिया, जो लग्ज़री और सिन प्रॉडक्ट्स हैं, उस पर जो हाई रेट ऑफ टैक्सेशन है, उसके टैक्स को 28 परसेंट तक रखेंगे और उसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, वह उस कम्पेनसेशन फंड में पांच साल के लिए इस्तेमाल होगा और पांच साल के बाद टैक्स के अंदर सबस्यूम होगा। यह एक प्रक्रिया है, जो कौंसिल ने तय की है।

उपसभापति जी, इसके अलावा इस वर्ष, आने वाले वर्ष के सरकारी खर्च को लेकर कुछ टिप्पणी की गई। बजट एस्टिमेट में जो रेवेन्यू टारगेट था, हम लोग उसको एक्सीड करेंगे। हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑलरेडी ज्यादा का है। इस वर्ष के आखिरी कुछ दिन बाकी हैं, हम उसमें इसकी जानकारी दे देंगे। इनफ्रास्ट्रक्चर में इस साल का 3.96 लाख करोड़ इस साल का एक्सपेंडिचर है। यह हाइएस्ट है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में 1.86 लाख करोड़ का है, सोशल सेक्टर में 1.95 लाख करोड़ का है, एजुकेशन और हेल्थ अकेले ही 1.03 लाख करोड़ के करीब है। यह अपने आप में, क्योंकि हर साल रेवेन्यू बढ़ता है, इसलिए सरकार की जो affordability उस revenue में रहती है, जो इस साल के फिस्कल डेफिसिट का 3.05 का टारगेट था, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको बढ़ाया गया है। हम लोगों ने उसको अगले साल 3.02 करने का एक टारगेट रखा है।

उपसभापति जी, एस.सी./एस.टी. सब प्लान के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन्स आई थीं। प्लान और नॉन-प्लान का मर्ज़र होने के बाद उस फंड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह फॉर्मूला वही रहेगा, जो एस.सी./एस.टी. एक्सपेंडिचर का था। इस बार एस.सी. एक्सपेंडिचर, जिसको हमने पूरा अलग-अलग हेड्स में किया है, उसको 34.09 परसेंट बढ़ाया है और एस.टी. का 32.09 परसेंट बढ़ाया है, इसलिए इसको कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जयराम जी ने एक तर्क बार-बार दिया कि इस पीरियड में इतनी जीडीपी थी, इस पीरियड में इतनी जीडीपी ग्रोथ थी, लेकिन GDP growth depends on several factors. It can depend on domestic factors; it can also depend on the overall international environment. If you look at the pre-1991 stage, you will find that our growth rates were very marginal. We

started picking up significantly post-1991. Globally, the period between 2003 and 2008 was a boom period. In a boom period, when the world does well, everybody flies with the world. So, the global tailwinds also give you a push. What do you do when the global situation becomes adverse and hostile? Last three years have been extremely challenging as far as the world is concerned. In those three years, to maintain seven-and-a-half per cent, plus or minus, and be the fastest growing economy amongst the major economies in the world is the real challenge. When the going is good, everybody is at its best. It is only when the going is challenging that a real test is determined. ..(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Yes, I agree with you that when tailwinds are there, you do very well. But the fact is, there were strong headwinds in 2008-09, but in 2010-11 and 2011-12, we still did well. So, it is a continuum; there are ups and downs. So, I expect that grace, that what was done and achieved should also be acknowledged. That is also in the interest of the country, so that this impression, which is created, does not go. Now, we are not having elections. What was achieved during bad times earlier should also go on record; otherwise, this is not a question of debate between you and us. We compliment what is being achieved, but also have the grace to compliment what was achieved earlier.

SHRI ARUN JAITLEY: If you recollect, in his very first speech from the Red Fort, the Prime Minister started by acknowledging what every Government of the past had done. ...(*Interruptions*).. Therefore, my only suggestion, if not advice, to my friend, Shri Anand Sharma, would be that amongst various things your past Governments had done, you took the right turn in 1991. Therefore, the Prime Minister, who took it, can always be proud of his achievements and never be apologetic about it. Because the kind of place he should have found in your history for having taken that right turn is a place which you have, at least, denied to him and we are always at pains to give it to him.

Sir, this year will go down significantly because we have advanced the date of the Budget and we hope that the Budget is passed and we complete the financial exercise by the 1st of April so that we are in a position to even give money to the States so that everybody is in a position to start spending from 1st April rather than wait for the monsoons to get over and start the expenditure in the later part of the year. As I said, the Plan and Non-Plan expenditure distinction has been done away with. The Railway Budget has been merged. There is an Outcome Budget of last year and, I think, this year will also be important in the sense that the indirect tax proposals will be only for part of the year because then the GST will take over and, hopefully, this will impact the Budget-making exercise in the future years.

[श्री अरुण जेटली]

Sir, there are one or two important points which I wish to mention. One is with regard to the electoral reforms. What we have done in the Budget is to just give the outline. और आउटलाइन यह है कि अब 70 वर्ष बाद हम कोई न कोई ऐसी प्रक्रिया लाएं, जिसमें पोलिटिकल फंडिग क्लीन हो पाए। इसमें हमने यह सुझाव रखा है कि चैक की पेमेंट हो। हम लोगों ने एक व्यवस्था की, जब 2002 में सरकार थी। मैंने हमेशा स्वीकार किया है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें मनमोहन सिंह जी अध्यक्ष थे, उसकी रिकमंडेशंस भी थीं, हमने उसको देखा था और उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार उन संशोधनों को लाई थी। थोड़ा फर्क पड़ा, बहुत फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब मौजूदा राष्ट्रपति जी वित्त मंत्री थे, तो उस तरफ से मैंने उनको एक प्रस्तावना दी थी कि क्योंकि इसमें और सुधार करना है, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट्स हैं, मैंने एक पत्र उनको लिखा था, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया था, कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बेलेन्स शीट में ये डिटेल्स न आएं। तो उस वक्त के बजट में, फाइनेन्स बिल में उन्होंने स्वीकार किया था। उससे भी थोड़ा अंतर हुआ, लेकिन आज भी यह फर्क नहीं पड़ा। चुनाव आयोग का यह सुझाव था कि कैश डोनेशन को 2000/-रुपए पर लाया जाए, हमने उस सुझाव को रखा है। दुनिया भर में डिजिटल फॉर्म में कलेक्शन होता है और उस तरह से जितना कलेक्शन होगा उसमें भी टैक्स की माफी रहेगी। यह प्रावधान है और इलेक्टोरल बॉण्ड्स की एक स्कीम बनेगी। मैं चाहूंगा कि सभी राजनैतिक दल वह स्कीम बनाने के लिए जो-जो उनके सुझाव हैं वे हम लोगों को दें, ताकि इसको किसी तरीके से बिल्कुल क्लीन किया जा सके। अब एक बहुत स्वाभाविक कठिनाई है, and it is a legitimate difficulty. People have been wanting to give by cheque but they cite two practical reasons why they don't want to do it. 'Our names get disclosed. The opponents will target us and tomorrow when we do business, somebody will file a PIL and say, you gave money in elections and so you have got a contract.' उनको लगता है कि अगर हम ईमानदारी से देते हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से देते हैं, तो कोई कठिनाइयां तो पैदा नहीं कर लेंगे। अब क्लीन मनी भी आ जाए और जहां तक संभव हो ट्रांसपेरेन्सी भी आ जाए।

श्री आनन्द शर्माः जल्दी करो। यहां तो मिलना ही बंद हो गया, कोई आता ही नहीं है।

श्री अरुण जेटलीः तो इसीलिए इन दोनों तरीकों से हम लोगों ने एक सुझाव इलेक्टोरल बॉण्ड्स का रखा है। जो कल्पना है, वह यह कि इलेक्टोरल बॉण्ड्स केवल चैक के माध्यम से कोई भी डोनर खरीद सकता है, जो खरीदेगा उसको उतनी टैक्स में छूट मिलेगी। खरीददारी के कुछ समय के भीतर, छोटे समय में, तीन या चार सप्ताह में वह रिडीमेबल होगा, केवल पोलिटिकल पार्टी के एकाउंट में होगा और केवल हर पार्टी का एक एकाउंट होगा, जो इलेक्शन कमीशन में प्रिडिक्लेयर्ड होगा। इसमे रिडीमेबल होगा। इससे पार्टी के हाथ में भी clean पैसा आएगा और देने वाला भी clean पैसा देगा। किसने कितने का खरीदा है, यह तो बैंक में पता होगा, लेकिन उसने किस-किस को कितना दिया है, यह केवल उसको पता होगा। आनन्द जी अभी जो समस्या बता रहे थे, इसमें आपको भी लाभ होगा। जो विपक्ष में है, उसको लाभ होगा। इसलिए सरकार में रह कर ऐसा कानून बनाना, जिसमें विपक्ष को भी मिलता रहे, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम लोग मिल कर Income Tax Act के तहत इसकी जो स्कीम बनाएँगे, इस स्कीम के बारे में चूँकि सभी राजनीतिक दलों का अपना-अपना अनुभव है, तो वे अपने सुझाव

हम लोगों को भेज दें, मिल कर भी बतला दें, ताकि इसकी स्कीम ऐसी बन जाए, जिसमें देश के अन्दर clean funding की गुंजाइश बढ़ जाए। मुझे लगता है कि अगर हम यह लागू कर पाते हैं, तो clean political funding के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ सकता है।

अभी कृषि के सम्बन्ध में मैंने already बतलाया कि हमने कृषि में भी साधन बढ़ाए हैं, rural development में भी बढ़ाए हैं, MNREGA को भी बढ़ाया, क्योंकि जब फसल में कमजोरी रहती है, तो जो लेबर है, उसको अन्य तरीकों से पैसे मिलते रहने चाहिए। हम लोगों की सरकार का एक बहुत ambitious कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक साधन जाएँ - electrification के माध्यम से, rural roads के माध्यम से, irrigation के माध्यम से, rural housing के माध्यम से, animal husbandry के माध्यम से। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आमदनी और आय बढ़ पाए।

बार-बार NPAs का जिक्र आता है। हम NPAs की समस्या का सरल तरीके से अर्थ समझ लें। ये NPAs कोई हजारों-लाखों कम्पनियों के साथ जुड़ी हुई समस्या है, ऐसा नहीं है। यह 20 या 30 बड़े accounts के साथ जुड़ा हुआ विषय है। ये बड़े accounts कोई इस सरकार के कार्यकाल में create नहीं हुए, ये पहले के हैं। ये बढ़ इसलिए रहे हैं, क्योंकि ब्याज बढ़ रहा है। आप पेमेंट वापस नहीं करेंगे और इसका ब्याज बढ़ता जाएगा, तो इसलिए यह बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़े, हम लोग इसका कारण भी समझ लें। बैंक उद्योग और व्यवसाय को लोन दे, यह अपने आप में अच्छी बात है। उसी के आधार पर तो बिजनेस चलेगा, अर्थव्यवस्था चलेगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों को स्वाभाविक रूप से एक कठिनाई आई और हर क्षेत्र की अपनी sectoral problem थी। सबसे अधिक कठिनाई स्टील के क्षेत्र में आई। स्टील की कम्पनियां बढ़ गईं। आपने बहुत सारे लोगों को कोयले की खानें दीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया। दूसरी तरफ चीन की steel manufacturing capacity बहुत बढ़ गई। चीन ने पूरी दुनिया में सस्ता स्टील बेचना शुरू कर दिया। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह यह चुनौती आई। अमेरिका ने Chinese steel पर 286 परसेंट anti-dumping duty लगा दी। चूँकि ब्रिटेन EU का हिस्सा था और EU ने कार्रवाई नहीं की, तो वहां जो steel plants थे, उनकी स्थिति हमें मालूम है। हम लोगों ने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू की। हमने Minimum Import Price (MIP) भी लगाई, थोड़ी duties भी बढ़ाई। Indian steel companies इन सब कदमों से धीरे-धीरे अब profit making situation के अन्दर आ गई हैं। दूसरी समस्या टेक्सटाइल्स की थी, जिसमें हम लोगों ने एक पूरा लंबा package announce किया। Infrastructure companies को PSUs, सरकारी ऑर्डस और राज्य सरकारों से ज्यादा पैसा लेना है, वे arbitrations और High Courts में pending हैं और वे आगे बैंक को नहीं दे रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी के आदेश से हम लोगों ने तय किया कि जो award arbitration जीत गया है, उसको 75 परसेंट दो और अगर फिर कानूनी लड़ाई लड़नी है, तो लड़ते रहो, ताकि अर्थव्यवस्था को कम से कम तकलीफ न हो। और वह प्रक्रिया अब लागू करनी शुरू की गई है।

बिजली के क्षेत्र में private plants और State Electricity Boards, जिसमें बड़ा हिस्सा स्टेट्स का था, इसलिए इसको हल करने के लिए 'उदय योजना' लाए। इस तरह धीरे-धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सेक्टर्स को एड्रेस करें। जब हम इन सेक्टर्स को एड्रेस करेंगे, तो उस इंडस्ट्री को वापस अपने पांव पर खड़ा कर पाएंगे जिससे वह अपने ऋणों को वापस दे

[श्री अरुण जेटली]
पाए। पूरा सेक्टर बैठ जाए, बैंक का पैसा डूब जाए, यह अपने आप में इसका सही रास्ता नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है।

बैंकों को कैपिटल की जरूरत है, इसलिए हम लोगों ने उनको कुछ पैसा दिया है और यदि आवश्यक होगा, तो हम उन्हें और भी देने का प्रयास करेंगे।

उपसभापति जी, मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब कदमों से, जो सरकार ने तीन सालों से उठाए हैं और कई initiatives पहले से भी चलते आ रहे थे, इससे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की एक प्राथमिकता बनी है। आने वाले वर्षों में इसको और अधिक मज़बूत करने में हम लोग सफल होंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सदन से बजट का समर्थन करने का अनुरोध करूंगा।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय वित्त मंत्री जी, अभी पांच राज्यों के चुनावों में माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बाद में यह हुआ कि राज्य सरकारें किसानों का कर्जा माफ करेंगी। बैंकों ने इसका विरोध भी किया। इसके लिए कुछ मुख्य मंत्री, जैसे पंजाब और उत्तराखंड के मुख्य मंत्री अभी माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले भी थे और उन्होंने कहा कि अगर यूपी के किसानों का कर्जा माफ होगा, तो अन्य राज्यों के किसानों का कर्जा भी माफ करना पड़ेगा।

प्रधान मंत्री जी, आप बैठे हुए हैं, मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किसानों की जो कर्जा माफी की नीति है, वह राज्य सरकारों के अंतर्गत आएगी या केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी और किसानों का कर्जा माफ होगा या नहीं होगा?

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, it is good that the Finance Minister has referred to the Scheduled Castes Component Plan and Tribal Sub Plan. There are Jadhav Committee's Guidelines for earmarking funds under Sub Plans. Dr. Narendra Jadhav once raised that issue; Mr. Punia has raised that issue and I have also raised that issue. If funds have been earmarked according to those Guidelines, it should have been more. Now, in actuality, funds earmarked for Scheduled Castes Component Plan and Tribal Sub Plan fall short. How do you explain this?

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I have two points only. One point I would like to understand and another is just a query. I fully agree that our system is basically non-compliant in the matter of tax payment. The day hon. Finance Minister presented the Budget in the Lok Sabha, I caught hold of him and spoke to him on this subject. It is a fact. The point is that what we are going to do with this compliance. You told about certain measures to bring an overall better compliance. But there are certain other measures where there is a very clear kind of deliberate tax defaulting and it has become an instrument of business. Even in your last Receipts Budget 'tax raised but not realized' was ₹ 6.59 lakh crore. Now you have presented this and took some initiatives. It needn't fall automatically from the sky tomorrow. But can you expect, when you are going to present the next Budget,

a different kind of figure which may not be that much high? That is what is to be understood. You have made a mention even in your last Receipts Budget that out of this entire dues, ₹ 80,000 crore is without any dispute or litigation. It is not a small amount. Again let me tell you one thing. If you read the same table in the Receipts Budget for the last four, five or six years, it is gradually increasing, not decreasing. Even the tax amount without any dispute is consistently increasing. This time, after admitting that we are generally non-compliant and certain action is being taken to bring in a bit of compliance, can you expect that that figure will go down in the next Budget? This is number one.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Please, Sir, it is not yet okay. I have not completed yet.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Be brief.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I want to be educated. What is the logic, what is the purpose behind doing away with this Plan and Non-Plan thing? What do you gain out of that? At least, in understanding your expenditure pattern, it helped us to understand clearly when you demarcated Plan and Non-Plan. You have merged it together. What does the Government want to gain out of that? I would just like to be educated about that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Rajeev Shukla, put your question only.

SHRI RAJEEV SHUKLA (Maharashtra): Sir, with your permission, I want to seek a couple of clarifications from the hon. Finance Minister. One of the major problems with the States is the fiscal discipline or fiscal management. Now, in order to help the States, the hon. Finance Minister, or maybe the GST Council, has kept petroleum products out of the domain of the GST. So, I just wanted to know from the hon. Finance Minister whether there is going to be a single rate of tax by all the States on petroleum products, or, whether any State, *suo motu*, can impose any tax rate on petroleum products.

Another point is about the Central schemes. सर, ये जितनी योजनाएं केंद्र की हैं, ये बहुत सारी योजनाएं हैं और केंद्र सरकार राज्यों को बहुत पैसा देती है। यहां से इतना पैसा जाता है, चाहे रूरल development की स्कीम्स हों या अन्य स्कीम्स, यदि वह ढंग से खर्च हो, तो सोने के गांव बन सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि पिछले 60-70 साल में जितना पैसा केंद्र सरकार की ओर से देश के गांवों के विकास के लिए गया है, यदि वह ठीक प्रकार से गांवों के विकास पर खर्च होता, तो वहां वाकई सोने के गांव बन जाते।

[Shri Rajeev Shukla]

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ राज्य तो उस पैसे का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक चतुर्वेदी कमेटी भी बनाई गई थी और उसने भी कहा था कि कई योजनाएं ऐसी हैं, जो नीचे तक पहुंचती ही नहीं हैं और जनता को उनके बारे में पता ही नहीं है। मैं उदाहरण के रूप में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूं कि हर पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 6 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान होता है। हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन हमें तो आज तक एक भी आदमी नहीं मिला, जो प्रौढ़ शिक्षा के जरिए पढ़ा हो। इसके लिए यहां से पैसा तो बहुत जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी योजनाओं में क्या वे कटौती करेंगे, क्योंकि चतुर्वेदी कमेटी ने भी कुछ योजनाओं को खत्म करने की बात कही थी और वही पैसा, जो योजनाएं प्रभावशाली हैं, जिनकी ऐफीकेसी है, उन्हें दिया जा सकता है? क्या वित्त मंत्री जी ऐसा कोई प्रावधान करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं?

महोदय, मैं तीसरी बात यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट के लिए 25 परसेंट टैक्स और उसके ऊपर के प्रोजैक्ट के ऊपर 33 परसेंट टैक्स, जो पहले का था, इस बारे में कहा था, तो यदि कोई प्रोजैक्ट 100 या 200 करोड़ रुपए का है, तो क्या उस प्रोजैक्ट को वह 50 करोड़ रुपए के स्लैब का एडवांटेज मिलेगा या नहीं या वह पूरा का पूरा प्रोजैक्ट उससे बाहर हो जाएगा?

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, I have three clarifications. One is regarding the number of GST exemptions. One was referred to by Shri Rajeev Shukla just now. When I talked a few months ago, when we passed the Constitution (Amendment) Bill or the GST, and I asked the CEA, I asked the officials of the Finance Ministry, at that time, it was made clear to us that it was almost 30 per cent of the revenue. Now, would you address that in future? It is very clear that you will go by consensus. So, what efforts will you make? I don't expect that it will happen overnight, but how will it be done?

Number two, it is true that both, non-agriculture and agriculture credit off-take जो कर्जा बैंकों से कृषि और उद्योग को जा रहा है, उसमें गिरावट आई है। निवेश में गिरावट आ गई। उसे बढ़ाने के लिए आप इंटरेस्ट में छूट देंगे, छोटे उद्योगों को सब्वेंशन देंगे और बाकी उद्योगों को भी, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी कम ब्याज पर कर्जा देंगे। अब उसके साथ एक बात और हो गई है और वह यह कि हमारा जो बचत का रेट है, जो हमारा सेंविग्स का रेट है, उसे खतरा बढ़ गया है। चूंकि फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट और सेंविग्स रेट, जो आम लोग, बैंक की व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उसके रेट बैंकों ने एकदम से स्वयं गिरा दिए हैं। उसमें आप संतुलन कैसे रखेंगे, इस पर आप कुछ बताएं।

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I have only one clarification. Whatever the Finance Minister talked about demonetisation and said that it has not affected the common people, I beg to differ.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is clarification time.

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I have travelled across Tamil Nadu. This demonetisation has affected small and medium industries and it has killed the tiny enterprises.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not a debate.

SHRI T. K. RANGARAJAN: I would request and I would like to know whether the Government can provide any rehabilitation package to those people who are affected by the demonetisation.

श्री मोहम्मद अली खान (आंध्र प्रदेश): डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं वज़ीरे फाइनेंस से दरख्वास्त करूंगा कि इस देश के अंदर सतह-ए-गुरबत के जो लोग हैं, वे पांच रुपए और 10 रुपए के बिस्किट से अपनी सुबह नाश्ते का गुजारा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी के अंदर, उनके ऊपर भी टैक्स आयद किया गया है। अगर यह लागू हो गया तो यह पांच (5) रूपये और दस (10) रूपये वाला बिस्कुट भी महंगा हो जाएगा। मैं इस हाउस की तरफ से और खुसूसन उन गरीबों की तरफ से आपसे अपील करूंगा कि जो लोग पांच रुपए और 10 रुपए के बिस्किट पर अपना गुज़ारा और सुबह का नाश्ता करते हैं, ...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد علی خان (آندھرا پردیش)** : ڈپٹی چیئرمین صاحب، میں وزیر فائنینس سے درخواست کروں گا کہ اس دیش کے اندر سطح غربت کے جو لوگ ہیں، وہ پانچ روپے اور دس روپے کے بسکٹ سے اپنی صبح ناشتہ کا گزارہ کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی۔ایس۔ٹی۔ کے اندر، ان کے اوپر بھی ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اگر یہ لاگو ہوگیا تو یہ پانچ (5)روپیہ اور دس(10) والا بسکٹ بھی مہنگا ہوجائیگا۔ میں اس ہاؤس کی طرف سے اور خصوصا ان غریبوں کی طرف سے آپ سے اپیل کروں گا کہ جو لوگ پانچ روپے اور دس روپے کے بسکٹ پر اپنا گزارہ اور صبح کا ناشتہ کرتے ہیں ...(مداخلت)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just seek clarification or put a question.

श्री मोहम्मद अली खान: उसके ऊपर टैक्स हटाने का आप ऐलान करें, तो इससे करोड़ों गरीबों को फायदा होगा।

†**جناب محمد علی خان (آندھرا پردیش):** اس کے اوپر ٹیکس ہٹانے کا آپ اعلان کریں، تو اس سے کروڑوں غریبوں کا فائدہ ہوگا۔

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): I want to compliment the Finance Minister for bringing in, in this Budget, steps to eliminate the black money from political funding. To a large extent, this will bring transparency. But we have seen in the

† Transliteration in Urdu script.

[Shri Naresh Gujral]
past that eighty per cent of the funds which were coming to the political parties were coming in small denominations, that is, under ₹ 20,000. Now, it has been said that this limit will be ₹ 2,000. It basically means you need more munims and more accountants to cut more receipts. So, I would urge him to eliminate that also and insist that PAN card number or Aadhaar card number should be given by those who are making donations, even of less than 2,000 rupees, and political parties, which are not able to furnish it, must be taxed on this amount.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. This is a suggestion. Now, Misra ji.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Sir, I have one clarification. It is right that the Finance Minister needs funds from various sources. The public sector corporations, one after the other, are being privatized. आप probably इसलिए privatisation कर रहे हैं, उसके शेयर बेच रहे हैं, क्योंकि फंड्स की कमी है। प्राइवेटाइजेशन का इफेक्ट यह है कि इम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस में, जो रिजर्वेशन होता है, that is coming to an end, slowly, slowly. This privatization is impacting the SC, ST, and OBC employment and their reservation. Ultimately, वह सब ठेकेदारी से होने लगा। चाहे कॉरपोरेशन में हो, ये जो जॉब्स होती हैं, everything is on *thekedari*, where there is no reservation. So, I just want to know: Is this necessary that these public sector corporations are brought to an end slowly?

दूसरा यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब के ही पास बजट है और उनके पास ही पैसा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन माननीय प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा है, जबकि उसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को लिखना चाहिए कि आप ये 3,100 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? लॉ मिनिस्टर साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से ही कहेंगे। तो अगर बजट में 3,100 करोड़ के प्रोविजन की कमी है, तो VVPAT के लिए पैसा क्यों नहीं रिलीज़ हो रहा है, क्यों नहीं दिया गया, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Mr. Vijayasai Reddy. Please seek clarification only, nothing more.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I urge upon the hon. Finance Minister to explain to this august House as to why the Gross Fixed Capital Formation has consistently been coming down year after year since 2011-12. Please tell us also about the index for industrial production.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Sir, the Finance Minister has spoken eloquently about cleaning up the political system. There are two issues. Firstly, the Budget was a place to bring in the best way to clean up the political system, that is, through State or public funding of elections. We have not seen any move or response to Members' concerns on that particular issue. Secondly, Sir, the anonymity that is given to contributions under the Electoral Bond Scheme is only

going to promote crony capitalism and worsen it. Let the Finance Minister find other ways to exhort private sector players to contribute through cheques. Why is that not important? Then this anonymity that is going to bring in so much of opacity that we will never know who contributed how much to you, and, what policy results they get at the end of it. That is not good for our democracy, Sir. This is something that the Finance Minister must change while going forward.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, मैं तो सिर्फ एक जानकारी चाहूँगा। देश का बहुत बड़ा बजट है। हमारे पार्लियामेंट में Salary and Allowances Committee नामक एक कमेटी होती है। उसके माननीय चेयरमैन साहब, जो अब हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। अगर उसकी सिफारिशों को मान लिया जाए, तो हमारे बजट पर उसका कितना परसेंट असर पड़ता है, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि वे इस प्रश्न का जवाब जरूर दें।

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): Sir, the Finance Minister has quite rightly pointed out that non-compliance has become in India almost a way of life. It is almost seeped into the blood stream. Now, fighting non-compliance is, no doubt, very, very daunting. One easy way, of course, is to wield the big stick. And there are fears that the big stick may always be wielded a bit too indiscriminately, what is called tax-terrorism. Sir, the Prime Minister, on the other hand, has also said that we are the beneficiaries of certain types of technology which reduces the level of discretionary powers, which is a big problem that people face. So, I would like to hear from the Finance Minister, now that we are moving into a rule-based system, the extent to which the discretionary powers can be reduced and it can come into a more and more rule-based system, particularly in the matter of revenue collection.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you. Now, hon. Finance Minister. ...(*Interruptions*)...

श्री हरिवंश (बिहार): सर, मुझे भी मौका दिया जाए। **...(व्यवधान)...**

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): सर **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... Those who raised their hands within time, I have allowed them. Now, it is your second thought. ...(*Interruptions*)... I know that. He being an economist, I must hear him. ...(*Interruptions*).... Okay ...(*Interruptions*)... All right. ...(*Interruptions*)... Put your questions only, no speech.

श्री हरिवंश: धन्यवाद, उपसभापति जी। महोदय, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि पीछे बैठे हुए लोगों की ओर कभी-कभी आपकी निगाह जाती है, उसके लिए धन्यवाद।

[श्री हरिवंश]

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी भी बैठे हैं। मेरे दो specific सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के अनुसार और इस बार Economic Survey की रिपोर्ट में भी यह दर्ज है कि जो विकसित राज्य हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े राज्य हैं, वे उनके बराबर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब कि वे भी प्रगति कर रहे हैं, तो यह जो फासला है, disparity है, जिसके बारे बहुत पहले 1994-95 में चंद्रशेखर जी ने सवाल उठाया था कि जो क्षेत्रीय असंतुलन-विषमता बढ़ रहा है, उसका निदान क्या है?

महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि आज सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। जो पिछड़े राज्य हैं यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, उसका क्या निदान इस बजट से निकलता है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... That's okay. ...(*Interruptions*)... You cannot continue like this. ...(*Interruptions*)... You think everybody should ...(*Interruptions*)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः सर, बुंदेलखंड में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। **...(व्यवधान)...** वहां के किसान कई वर्षों से सूखे से परेशान हैं। **...(व्यवधान)...** सर, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बुंदेलखंड को स्पेशल पैकेज दिया जाए। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः वित्त मंत्री जी किसान के बारे में बोल चुके हैं, और क्या बोलना है? **...(व्यवधान)...** कृपया अब आप बोलिए।

श्री अरुण जेटलीः उपसभापति जी, कई प्रश्न या स्पष्टीकरण पूछे गए हैं। स्वपन जी ने पूछा कि इस व्यवस्था में how you are going to make it more and more rule-based so that there is no misuse by individual officers. सर, एक continuous प्रयास चलता रहा और दोनों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम्स में इसके कई परिणाम सामने आएंगे। चूंकि मैंने इनडायरेक्ट टैक्स की चर्चा की थी, इसलिए मैं इतना बतला दूं, instead of multiple assessing officers, you now have to have an interface only once, and even in that one case, all limbs of the transaction are going to be captured by the IT backbone, which is being created. Every month, there will be three billion vouchers which will be matched with each other. Therefore, evasion is going to become extremely difficult under that. The allocation of responsibility between the Centre and the States also is such that smaller cases more in the States, larger cases to be divided between the Centre and the States. 95 per cent of the assessments are going to be virtually clinical through that IT backbone itself so as to stop and minimize the contact between the assessing authority and the assessee itself. So, as much of a physical contact in terms of hearing will be eliminated. It is roughly calculated that a small percentage, about 5 per cent of the total cases, will get into that scrutiny exercise. The others will be determined by the IT network itself. There will be indications and criteria on the basis of which each one will pick individual cases for that random

assessment itself. Not in an arbitrary manner. But red alerts will go up only if a few things happen.

Now the same experiment is being conducted slowly using technology in cases of direct taxes. For instance, your returns are now online. Clarifications are online. After demonetisation, we have detected the people who had a disproportionate deposit. Only a query has been sent to them online either through an SMS or an e-mail and a reply is being asked, so that an assessee and an officer don't know each other, and they don't come into contact with each other. As far as your refunds are concerned, you get their information online, and the refund reaches expeditiously. The number of scrutiny cases is no longer being decided by officers. There is a centralised mechanism. The software is such that there are criteria which are fed into that software. All your returns go into the common criteria. It is the criteria which will be determined by the software as to which case it has to pick. If there are large cash withdrawals or large cash deposits or large property transactions or some unexplained factor comes in the way of the software that it gives a red alert, that alert will then pick you up for scrutiny. When you are picked up for scrutiny, it is only for the first time that any assessing officer can then be your assessing officer for that. And the number of cases, which are now being picked up by this whole process in individual segment, is not even one per cent. You are now trying to eliminate a personal contact as far as the assessing officer and the assessees are concerned.

यहां नरेश जी ने पूछा और यह विषय कई राज्यों से भी आया है। केंद्र के बजट में अपनी योजनाएं होती हैं। उसमें हम कृषि क्षेत्र में उनकी सहायता करते हैं, interest subvention करते हैं और जो कई प्रकार की सहायता देते हैं, वह देते रहेंगे। किसी राज्य के पास अपनी क्षमता होती है। अपने साधनों से यदि वह उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो उस राज्य को उसके लिए अपने साधन ढूंढ़ने पड़ेंगे। यह परिस्थिति नहीं आएगी कि केंद्र किसी एक राज्य की सहायता करेगा और दूसरे की नहीं करेगा। एक प्रश्न यहां श्री डी. राजा ने पूछा — Now that the Plan and the Non-Plan distinction is over, is the Jadhav Committee principle still applicable in determining how much is to be spent by each Department? The answer is a categorical yes. That principle will continue to be followed. On the basis of that principle, the amount will be spent for the SC and the ST, without calling it a Sub-Plan for their schemes. That principle will itself be maintained.

एक प्रश्न यहां राजीव जी और आनन्द शर्मा जी सहित कई माननीय सदस्यों ने GST में जो exceptions हैं, उस संबंध में उठाया। जैसा मैंने कहा कि GST पर केंद्र और राज्यों के बीच में, चर्चा के बाद, एक political package बना। कुछ ऐसे विषय थे जो अपने आप में, आरम्भ की stage में, deal breakers हो सकते थे। इसलिए उस विषय को लेकर, पूरी चर्चा को तोड़ देना, यह बहुत सूझ-बूझ का परिचायक नहीं था। उसमें एक विषय petroleum का था और दूसरा विषय alcohol का था। एक तीसरा विषय भी है, जिसे लेकर चर्चा चल रही है और दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री, सिसोदिया जी ने भी इस विषय को उठाया है। अभी Chief Economic Advisor ने भी

[श्री अरुण जेटली]

Real Estate विषय पर एक पेपर तैयार किया था और कहा कि उसे भी इसमें लाइए और दिल्ली सरकार का भी यह प्रस्ताव है। इन सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। Petroleum products के बारे में हमने राज्यों के साथ हुए निर्णय के आधार पर Constitution Amendment Bill पास किया, जिसमें औपचारिक रूप से हमने उसे GST में रखा है। It is a part of the GST. But till all the States agree, till the GST Council agrees, we won't start imposing tax on it. States will continue to impose their own tax. अगर कल उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस आ जाते हैं, तो उसमें Constitution amend नहीं करना पड़ेगा, वह already amended है। अगर जीएसटी काउंसिल कभी भविष्य में डेट तय करती है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी टैक्सेशन शुरू करने की स्थिति में हम होंगे।

दूसरा विषय एल्कोहल का है। राज्यों को लगता था कि यह रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा साधन है और इसको लेकर कुछ राज्यों का एक विचार था। लैंड के संबंध में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र और दिल्ली सरकार ने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया और यह कहा कि इसके अंतर्गत लैंड को लाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काला धन इस्तेमाल होता है। उस विचार में बहुत तर्क था, जिसका एक असर पड़ा और काउंसिल ने यह तय किया कि हम फिलहाल बाकी प्रपोजल्स को लागू कर दें, लागू होने के बाद फर्स्ट ईयर में इस सुझाव को दोबारा we will take it up for consideration itself. इसलिए काउंसिल एक-एक करके इन विषयों को चर्चा के लिए लाने का अपने आप में प्रयास करेगी।

आपने credit offtake का विषय उठाया। उसमें decline है और उसके ऊपर ग्लोबल स्लोडाउन का, डिमांड का एक असर पड़ा है। NPA की परिस्थिति का एक असर यह भी है कि बैंक्स की ग्रोथ को सपोर्ट करने की जो क्षमता होती है — क्योंकि अगर लाखों-करोड़ों रुपया वर्ष 2008 और 2009 से कुछ एकाउंट्स के अंदर frozen पड़ा है, तो उस क्षमता के ऊपर भी असर पड़ता है, लेकिन फंडिग के जो वैकल्पिक तरीके, Pounds etc. आए हैं, उस मार्केट में expansion हुआ है और काफी लोगों ने, private sector included, उन क्षेत्रों से पैसा उठाना शुरू कर दिया है। So, if there is less offtake through one channel, there is an increased offtake in another channel itself.

आपने स्मॉल सेविंग्स के बारे में कहा। यह सचमुच चिन्ता का विषय है और यह चिन्ता का विषय इसलिए है कि समाज में एक वर्ग ऐसा होता है, जो स्मॉल सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप सरकार में इतनी देर रहे हैं और आप इन स्मॉल सेविंग्स के बारे में जानते हैं कि राज्य सरकारें जो अपना ऋण लेती हैं, जैसे कि budget deficit को पूरा करने के लिए जब केंद्र लेता है, तो वह इन फंड्स को ले लेता है। एक वक्त था, जब ब्याज दर हाई थी और यह 9 परसेंट, 9.50 परसेंट पर थी, जब आप सरकार में थे। पिछले दो-तीन सालों में वह कम हुई और उसके कम होने से आज राज्य सरकारों को और स्थानों से सस्ते दाम पर ऋण उपलब्ध हैं। इसलिए वे यह कहते हैं कि आप हमें महँगा ऋण लेने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? कल भी मुझे पंजाब के मुख्य मंत्री मिले, उनका भी यही कहना था कि हमारी पुरानी borrowing higher rates पर है। जब हमें यह lower rates पर मिलने को तैयार है, तो हम सरकार का पैसा उसमें खर्च करें, यह एक समस्या है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे! जब हम स्मॉल सेविंग्स को मैनेज करते हैं, तो उसमें हम एक delicate balancing exercise करने की कोशिश करते हैं और राज्य सरकारों

पर उसका बहुत बड़ा बोझ भी पड़े, वह भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है।

GST rates के बारे में भी कहा गया। अभी तक काउंसिल में जो चर्चा चली है, मैं केवल उस चर्चा को बतला देता हूँ। फूड आइटम्स तथा ऐसी अन्य कई essential items, जो आम आदमी की चीज़ें हैं, वे zero rated रहेंगी। जिन पर आज zero tax है, वे भी zero rated रहेंगी, ताकि वे चीज़ें सस्ती मिलें। अब एक व्यक्ति किसी commodity या service पर मौजूदा कितना टैक्स दे रहा है, इसलिए अगर उसमें यह जोड़ लिया जाए कि वह वैट कितना देता है, एक्साइज़ कितना देता है, तो जो nearest slab होगा, उसके अंदर उसको फिट कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी व्यापार या व्यवसाय में उसका बहुत बड़ा अंतर न आए।

हम लोगों ने यह जो 2,000 रुपये का आँकड़ा लिया, यह सचमुच में चुनाव आयोग का सुझाव था और राजनीतिक दल क्या सुझाव देते हैं — क्योंकि इसका आप दूसरा परिणाम भी सोच लें कि गांव के अंदर कोई राजनीतिक सभा करता है, तो वहां से जो पैसा इकट्ठा करता है, तो गांव की जो भी कम्युनिटी वह पैसा इकट्ठा करेगी, उन सबको कहेंगे कि पहले आप अपना कार्ड लाइए, फिर आपसे पैसा लेंगे, यह कितना सरल होगा? इसलिए चुनाव आयोग ने अपने आपमें 2,000 रुपये का एक minimal amount suggest किया था।

सतीश जी ने कहा कि PSUs में रिज़र्वेशन बन्द हो रहा है, लेकिन पिछले तीन सालों में अभी तक ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। **...(व्यवधान)...**

SHRI TAPAN KUMAR SEN: He said that if a PSU is privatised, it will go out of the purview of right of reservation. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Let us not raise a hypothetical situation. As of today, there is not a single case where this has happened in the last three years. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: No, no. After privatisation, it has happened. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: When that happens, please raise it. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: It has happened. ...(*Interruptions*)... In BALCO, it has happened. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: When that happens ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: In HCL, it has happened. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: We can argue ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Not in last three years, but it has happened. That is the reason he has pointed it out. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Have you realised, privatisation may eventually have ended up creating more jobs including for those who are entitled to reservation? ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Not always. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Today, you have the news.... ...(*Interruptions*)... I saw one of the companies whose privatisation was criticized. For its 29 per cent shareholding, the Government has got the largest ever dividend in history. That is the effect of privatisation. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: There are also cases where they have privatised, that company got closed down and the entire jobs were lost. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... That is all right. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: There are also cases. ...(*Interruptions*)... I have those figures with me. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: I think, when I spoke on electoral bonds, Mr. Rajeev Gowda was not there. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; please. ...(*Interruptions*)... Yes. ...(*Interruptions*)... Order, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: I think, Sir, before I answer Mr. Gowda, you please consult those in your Party, who have been dealing with this subject and do not get persuaded because there is a set of organisations in this country, who have a problem for every solution and, I think, you have been influenced by them. If you go back to your suggestion, then, let us do away with electoral bonds and continue the present system of cheque and total disclosure so that the donor will say, 'I will not donate. I will only donate by the unlawful manner.' Then, you go back to square one. That is the problem that we are trying to address. Therefore, if you can improve on this, please give suggestions but do not take us back to square one where the donor says, 'Cash is the best option.' So, I would suggest, after a proper reconsideration, let all political parties, when they have a suggestion to offer us in this regard, please give us.

The 14th Finance Commission has already spoken about the North-Eastern States and the hill States. Within the ambit of resources available with the Government, that facility of 90:10, which is available to them, is available to those States. The other States, the 14th Finance Commission has dealt with in terms of revenue and the Government stands by that particular Report. Thank you, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...(*Interruptions*)... No more. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: You did not reply.....(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; please. ...(*Interruptions*)... That is okay. ...(*Interruptions*)...

प्रो. राम गोपाल यादवः मेरा सवाल सारे संसद सदस्यों से संबंधित था। उसी का आपने जवाब नहीं दिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... All right. ...(*Interruptions*)...

श्री अरुण जेटलीः आपका प्रश्न सुझाव था, वह सुझाव मैंने पूर्ण रूप से समझ लिया।

प्रो. राम गोपाल यादवः सुझाव नहीं था। **...(व्यवधान)....**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please. ...(*Interruptions*)... Now, please. ...(*Interruptions*)... Both Appropriation Bills.....(*Interruptions*)...

श्री तपन कुमार सेनः जेटली जी, कम से कम वह रिप्लाई तो दीजिए। **...(व्यवधान)....**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; please. ...(*Interruptions*)... He replied to every point. ...(*Interruptions*)... Finance Minister,.....(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: What about compliance? ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... About the compliance picture.....(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay. ...(*Interruptions*)... Most of the points have been replied. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: We appreciate your statement. ...(*Interruptions*)... Give the compliance picture. ...(*Interruptions*)... Why should you not give it? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Appropriation Bill, 2017 and the Appropriation (No. 2) Bill, 2017, both have been moved. Therefore, I shall now put the motion regarding consideration of the Appropriation Bill, 2017 to vote.

The question is:

> That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2017-18, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I rise to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding consideration of the Appropriation (No. 2) Bill, 2017 to vote.

The question is:

> That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2016-17, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITELY: Sir, I move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

SHORT DURATION DISCUSSION*

Electoral Reforms — *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thanks to everyone, all of you who have co-operated. Now, what remains is the reply for the Short Duration Discussion. Are you ready for the reply? In the Short Duration Discussion yesterday, the discussion was completed except the reply. It was a marathon discussion. By the way, I got a chit now. The chit is like this. Today is the birthday of Union Minister, Shrimati Smriti Zubin Irani. Is it so? Then our heartiest congratulations to her on her birthday and we wish her all the best. Now, the hon. Minister can start the reply.

---

* Further discussion contiuned from 22nd March, 2017.